



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 568/2014.....जिला.....बीकानेर.....

उनवान- श्री शिवरतन गहलोत पुत्र पन्नालाल गहलोत, बीकानेर बनाम् राज. सरकार जरिये उप पंजीयक-द्वितीय बीकानेर व अन्य।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
09.01.2015	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा, सदस्य श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य</p> <p>प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बसन्त कुमार विजयवर्गीय व अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरना, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. प. 2(6)वित्त/कर/2014 -143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरना ने इस संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 568/2014 'सारहीन' हो जाने के कारण खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (आशा कुमारी) सदस्य </div> <div style="text-align: center;">  (सुनील शर्मा) सदस्य </div> </div>	